

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत पंधिंग से तांली तक 7.00 किमी० मीटर मार्ग में स्थानीय काश्तकारों की जितनी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उसी भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू-स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट


जिलाधिकारी
निर्माण विभाग
बागेश्वर